क्रम-संख्या–59

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 31 मार्च, 2020

चैत्र 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 585/79-वि-1–20-2(क)-3-2020
लखनऊ, 31 मार्च, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2020) जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2019—2020 में राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा में, वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत का अधिकतम सीमा से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी।";

(ख) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2019—2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टॉक में, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी।"

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह—II,
प्रमुख सचिव।

———

No. 585(2)/LXXIX-V-1–20-2(ka)-3-2020
Dated Lucknow, March 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 3 of 2020) promulgated by the Governor. The Vitta (Aay-Vayyk) Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 3 of 2020)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2020.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004, in sub-section (3),–

(a) after sub-clause (i) of clause (c), the following proviso shall be *inserted,* namely :–

"Provided also that the ceiling of fiscal deficit in the fiscal year 2019-2020 shall be enhanced by an additional borrowing of Rupees 10, 570 crore, allowed by the Government of India, over and above the ceiling of 3 per cent of the estimated Gross State Domestic Product for the fiscal year 2019-20.";

(b) after clause (f), the following proviso shall be *inserted,* namely :–

"Provided that the total debt stock at the end of the fiscal year 2019-20 shall be enhanced by an additional borrowing of Rupees 10,570 crore allowed by the Government of India, over and above 30 per cent of the estimated Gross State Domestic Product for the fiscal year 2019-20."

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 756 राजपत्र–(हि0)–2020–(1798)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 165 सा0 विधायी–2020–(1799)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

756_RPH